न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामरख मीना RAS

प्रकरण संख्याः–35/2019 दायर दिनांक :– 03.05.2019

1. सुखराम
2. देवीलाल

पुत्रगण गोपालाराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान)

––वादीगण

–:बनामः–

1. गोपालराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायीनिषेधाज्ञा
अन्तर्गत आर.टी.एक्ट 1955 धारा 53,88,188

उपस्थितः–
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादीगण
2. श्री के के पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी
3. श्री राज पेरापकार

निर्णय दिनांक :–15.05.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के विरास्तन के खेत खसरा नम्बर 242 तादादी 2.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 243 तादादी 2.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 तादादी 3.2600 हैक्टेयर रोही ख्याणीबास खसरा नम्बर 74 तादादी 4.3600 हैक्टेयर रोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त वादगत खेत खसरा नम्बर 242 तादादी 2.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 243 तादादी 2.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 तादादी 3.2600 हैक्टेयर रोही ख्याणीबास खसरा नम्बर 74 तादादी 4.3600 हैक्टेयर रोही अभयसिंहपुरा में से पारिवारिक विभाजन में वादीगण के हिस्से पांती में आये हुए है तब से लगातार वादीगण का अपने हिस्से पर कब्जा–काश्त एवं उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण उक्त खसरा नम्बर 242 तादादी 2.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 243 तादादी 2.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 तादादी 3.2600 हैक्टेयर रोही ख्याणीबास खसरा नम्बर 74 तादादी 4.3600 हैक्टेयर रोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा विभाजन करवाना चाहते है एवं इसी अनुसार वादीगण ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा–काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बधित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। वादीगण ने प्रतिवादी से वादगत खेतों के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से दिनांक 05.01.2019 को स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा, विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर रहे है। वादगत भूमि में हक वादीगण का कब्जा काश्त होंने से आपसी पारिवारिक विभाजन के मुताबिक बनता है। वादीगण का वादगत खेतों में कब्जा काश्त, मुखालफाना, आबाद एवं निरन्तर रुप से चला आ रहा है। वादीगण को अपने कब्जे काश्त की वादगत पैतृक कृषि भूमि की खातेदारी की हकुकों का विभाजन करवाना जरुरी हो गया है जिसका कॉज ऑफ एक्शन वादीगण को दिनाँक 25.02.2019 प्राप्त हो गया है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादीगण को खसरा नम्बर 242 तादादी 2.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 243 तादादी 2.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 तादादी 3.2600 हैक्टेयर रोही ख्याणीबास खसरा नम्बर 74 तादादी 4.3600 हैक्टेयर रोही अभयसिंहपुरा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में तरमीम किया जावे।

––– 2

Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की और से जबाबदावा मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया। एवं निवेदन किया गया कि वादगत खेतों में वादीगण का नाम दर्ज कर दिया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया दावा जबाबदावा के अनुसार वादगत खेत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विरास्तन के खेत है जिनका वादीगण एवं प्रतिवादी ने आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है विभाजन के अनुसार ही काश्त कर रखा है जिसको कब्जा काश्त के अनुसार वादीगण को बराबर हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः खसरा नम्बर 242 तादादी 2.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 243 तादादी 2.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 310 तादादी 3.2600 हैक्टेयर रोही ख्यिाणीबास खसरा नम्बर 74 तादादी 4.3600 हैक्टेयर रोही अभयसिंहपुरा में वादीगण सुखराम व देवीलाल पुत्रगण गोपालाराम जाति जाट निवासी बाना को बराबर हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर करे। डिक्री जारी हों ।

आज दिनांक 15.05.2019 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ... डूंगरगढ़ (बीकानेर)

(रामरख मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूॅगरगढ जिला–बीकानेर(राज.)

Scanned by CamScanner